न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 36/2019

शेरसिंह उम्र 38 वर्ष पुत्र स्व. दुलीचन्द, जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. चांदा उर्फ चाना देवी पत्नी स्व. दुलीचन्द उम्र 70 वर्ष, जाति जाट निवासी माकड़ो, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
2. रामसिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व. दुलीचन्द जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
3. होशियर सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व. दुलीचन्द जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
4. हवासिंह उम्र 36 वर्ष पुत्र स्व. दुलीचन्द जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
5. कमला उम्र 43 वर्ष पुत्र स्व. दुलीचन्द जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।
6. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिंघाना जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अं0धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधि0 विरूद्ध आदेश
नायब तहसीलदार सिंघाना दिनांक 15.5.2018 बाबत स्वीकृत करने फौतगी
नामान्तरकरण संख्या—402

उपस्थितिः—

1 .श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट ———— ———— ———————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मनीन्द्र बागोरिया, एडवोकेट ——————————————रेस्पोडेंट नंबर 1 से 5 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 30.09.2019

उक्त अपील विरूद्ध विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार सिंघाना दिनांक 15.5.2018 बाबत स्वीकृत करने फौतगी नामान्तरकरण संख्या—402 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— ग्राम माकड़ा तहसील बुहाना की सरहद में कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 583, 584, 585, 599, 600, 604/1 कुल किता 6 कुल रकबा 0.86 हैक्टर स्थित है। उक्त कृषि भूमि के खातेदार दुलीचन्द, बिहारीलाल, माडूराम पुत्रगण जीताराम हिस्सा 1/3, जैसाराम सरदारा राम पुत्रगण मामराज हिस्सा 1/3,

रघुवीर, परसाराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड एवं उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार चले आ रहे थे। अपीलान्ट के पिता दुलीचन्द की दिनांक 23.05.2012 को मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद विरासतन फौतगी नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 15.05.2018 तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण में प्राथी /अपीलांट का नाम शेरसिंह के स्थान पर छोटेलाल दर्ज कर दिया गया। जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट की ओर से नायब तहसीलदार सिंघाना के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उक्त छोटेलाल के नाम के स्थान पर शेरसिंह नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। अदालत मातहत नायब तहसीलदार सिंघाना ने दिनांक 15.05.2018 को नामांन्तरकरण संख्या 402 अपीलांट व रेस्पोडेन्टस नंबर 1 लगायत 5 के पक्ष में स्वीकृत करने के समय सही नाम की जांच न करके अपीलांट का गलत नाम नामान्तरकरण में दर्ज कर गलत राजस्व रिकार्ड जारी कर दिया, जो कानून एवं पत्रावली के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट के पैन कार्ड,भामाशाह कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, परिवार रशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस सभी दस्तावेजात में अपीलांट का नाम शेरसिंह पुत्र दुलीचंद दर्ज है, इसलिए पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 402 में प्रार्थी का नाम छोटेलाल बिना किसी जांच व रिकार्ड के दर्ज किया गया है, इसलिए उसको न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 15.05.2018 में व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छोटेलाल के स्थान पर शेरसिंह पुत्र दुलीचन्द, जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुंझुनू दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उक्त छोटेलाल के नाम के स्थान पर शेरसिंह नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। अदालत मातहत नायब तहसीलदार सिंघाना ने दिनांक 15.05.2018 को नामांन्तरकरण संख्या 402 अपीलांट व रेस्पोडेन्टस नंबर 1 लगायत 5 के पक्ष में स्वीकृत करने के समय सही नाम की जांच न करके अपीलांट का गलत नाम नामान्तरकरण में दर्ज कर गलत राजस्व रिकार्ड जारी कर दिया, जो कानून एवं पत्रावली के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट के पैन कार्ड,भामाशाह कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, परिवार रशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस सभी दस्तावेजात में अपीलांट का नाम शेरसिंह पुत्र दुलीचंद दर्ज है, इसलिए पटवारी हल्का व

नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 402 में प्रार्थी का नाम छोटेलाल बिना किसी जांच व रिकार्ड के दर्ज किया गया है, इसलिए उसको न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 15.05.2018 में व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छोटेलाल के स्थान पर शेरसिंह पुत्र दुलीचन्द, जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुंझुनू दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी द्वारा बाद जांच उक्त नामान्तरकरण भरकर पेश होने पर भू0अ0निरीक्षक द्वारा रेकार्ड मिलाने करने के उपरान्त नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त नामांतरकरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट होने के कारण खारिज की जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का कथन है कि उक्त नामांतरकरण एवं राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम छोटेलाल के स्थान पर शेरसिंह दूरस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन कि उसका नाम शेर सिंह है। अदालत मातहत नायब तहसीलदार सिंघाना ने दिनांक 15.05.2018 को नामांन्तरकरण संख्या 402 अपीलांट व रेस्पोडेन्टस नंबर 1 लगायत 5 के पक्ष में स्वीकृत करते समय सही नाम की जांच न करके अपीलांट का गलत नाम छोटेलाल नामान्तरकरण में दर्ज कर कर गलत राजस्व रिकार्ड जारी कर दिया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका, परिवार रशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस सभी दस्तावेजात में अपीलांट का नाम शेरसिंह पुत्र दुलीचंद दर्ज है, इन दस्तावेजात को नहीं मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। रेस्पोडेंट नंबर 1 लगायत 5 ने भी शपथ पत्र पेश कर शेर सिंह को अपना भाई बताया है और उसके नाम का पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 402 दर्ज करने से पूर्व दूलीचंद के वारिसान की सही जाचं नहीं की गई । ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के आदेश दिनांक 15.05.2018 नामांन्तरकरण संख्या 402 के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक दुलीचंद के वारीसान की सही जानकारी करते हुये अपीलांट व छोटेलाल के

संबंध में दस्तावेजात से जांच कर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में सही करने के संबंध में पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2019.11.11 11:42:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: